न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 72/019 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :—प्रार्थी

बनाम

1 अतरसिंह पुत्र रामचरण
2 जवारसिंह पुत्र रामचरण
3 उदयसिंह पुत्र रामचरण
4 जगदीश पुत्र रामचरण
5 धर्मो पत्नि रामचरण
6 राजू पुत्र परताप
} सतस्त जातियान गुर्जर निवासीयान डूगापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

7 बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट
8 बैक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 3742/5088 रकवा 0.08 है0.ग्राम मोरडा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 1756. रकवा 3 वीघा 15 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नली के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2011 से 14 यह भूमि अप्रार्थीयान के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 1756 का नवीन खसरा नम्बर 3742/5088 रकवा बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 3742/5088 रकवा 0.08 है0. वाके ग्राम मोरडा को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नली को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2011 से 14,,2072 से 75 ,मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 7 जरिये बकालान्तन उपस्थित आया ओर जबाब पेश किया अपने जवाव कथन में कहा की विवादित आराजी खातेदारी होने पर बैक के रहन है जब तक ऋण बसूनी नही होगा बैक को नुकसाान होगा शेष अप्रार्थीयान अनुपस्थित है। इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 7 की बहस सुनी। दोराने बहस अपने कथन जवाव को दोहराते हुए कहा की बैक राष्ट्रीयकृत बैक है। खातेदार द्वारा इस भूमि पर ऋण लिया गया है भूमि सिवायचक हो गई तो बैक को नुकसान होगा प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2011 से 2014 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 1756. रकवा 3 वीघा 15 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नली के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से रकवा 10 विस्वा भूमि अप्रार्थीयान को आवंटन हुई। आराजी खसरा नम्बर 3742/5088 रकवा 0.08 है0. खातेदारी स्वीकृत हुयी थी हाल जमाबंदी सम्बत 2072 से 75 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। जहा पर वकील अप्रार्थी का कथन है कि इस आराजी पर बैक का ऋण बकाया है। बहा पर मुताविक जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 में अप्रार्थीयान के नाम इस रकवे के अलावा अन्य काभी आराजी है उससे बैक की बसूली हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3742/5088 रकवा 0.08 है0.ग्राम मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2026 से 2029 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।